राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3339/2025

लक्ष्मण प्रसाद शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (विभागाध्यक्ष), वन विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री स्वपनिल सिंह पटेल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी राजस्थान सरकार के वन विभाग के अधीन उप वन संरक्षक, दौसा के पद से दिनांक 31.12.2013 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए। (अनुलग्नक–1) सेवानिवृत्ति की तिथि तक अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही न तो लंबित थी और न ही विचाराधीन थी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के दिन अर्थात 31.12.2013 को, कार्मिक विभाग (के–3–जांच) द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 31.12.2013 के माध्यम से राजस्थान सिविल नियम 16 एवं सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अभियोगों के विवरण सहित आरोप–पत्र मेरे मुवक्किल को दिया गया, जिससे मेरे मुवक्किल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ हुई। उक्त आरोप–पत्र जारी करने से पूर्व अपीलार्थी के विरुद्ध कोई जांच, शिकायत आदि सतर्कता मामला (एसीडी) लंबित या विचाराधीन नहीं था, जो कि उप सचिव, वन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.04.2013 से स्पष्ट है, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। उचित जाँच और विचार–विमर्श के बाद, कार्मिक विभाग ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। (अनुलग्नक–3) ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने

के कारण, अपीलार्थी को एक दशक से अधिक समय तक वैध ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों से अवैध रूप से वंचित रखा गया। अपीलार्थी एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के 11 वर्ष से अधिक समय बाद दिनांक 06.06.2025 को ₹10,00,000 (मात्र दस लाख रुपये) की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया, जिसके बाद 30.04.2024 को केवल दोषमुक्ति/निर्दोष घोषित करने का आदेश जारी किया गया। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के अनुसार दिनांक 01.01.2014 से 16.07.2025 तक की अवधि के लिए विलंबित भुगतान ₹10,00,000 की ग्रेच्युटी पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष